रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73

REGISTERED No. D. (D.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 26] नई दिल्ली, शनिवार, जून 25, 1977/आषाढ 4, 1899
No. 26] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 25, 1977/ASADHA 4, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अनुसरण बनाए और जारी किए गये साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपविधियां आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

नोटिस
NOTICE

निम्नलिखित भारत का/कि असाधारण राजपत्र 28 फरवरी, 1977 तक प्रकाशित किया गया/किए गए।
The undermentioned Gazette(s) of India Extraordinary were published up to the 28th February, 1977.

निर्गमन सं० Issue No.	संख्या तथा तिथि No. and Date	द्वारा जारी Issue by	विषय Subject
33.	भा० का० नि० 50(अ) दिनांक 1 फरवरी, 1977 G.S.R. 50 (E), Dated the 1st Feb., 1977	विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय Ministry of Law, Justice and Company Affairs.	भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित कम्पनियों के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिस पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58-क का कोई उपबन्ध उस उपखण्ड के प्रयोजनार्थ, लागू नहीं होता। Consultation with the Reserve Bank of India Specified the following companies as the companies to which no provision of Section 58-A of the Companies Act, 1956 shall for the purpose of that Sub-clause apply.
34.	भा० का० नि० 51 (अ) दिनांक 1 फरवरी, 1977 G.S.R. 51 (E), Dated the 1st Feb., 1977	राजस्व और बैंकिंग विभाग Department of Revenue and Banking.	भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 198/76 केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तारीख 16 जून, 1976 में संशोधन। Further Amendment in the notification of the Govt. of India in the Department of Revenue and Banking No. 198/76-Central Excises, dated the 16th June, 1976.
35.	भा० का० नि० 52 (अ) दिनांक 1 फरवरी, 1977 G.S.R. 52 (E), Dated the 1st Feb., 1977	मंत्रीमण्डल सचिवालय Cabinet Secretariat	इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 1977 है। These Regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Fourth Amendment Regulation, 1977.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 मई, 1977

सा० का० नि० 811 :—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति आकाशवाणी (श्रेणी 3 पद) भर्ती नियमावली, 1964 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी 3 पद) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1977 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (श्रेणी 3 पद) भर्ती नियमावली, 1964 की अनुसूची में अनुसंधान सहायक के पद से सम्बन्धित क्रम संख्या 60 के सम्मुख कालम 13 के अन्तर्गत, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

"समाचार सेवा प्रभाग के उन सहायक परिवहन पर्यवेक्षकों और मुख्य मोटर मैकैनिकों में से पदोन्नति द्वारा जिनकी अपने-अपने ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा हो।"

[संख्या 12019/2/77-बी० (ए०)]
एम० एल० टंडन, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 27th May, 1977

G.S.R. 811.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class III posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the *All India Radio* (Class III posts) Recruitment Rules, 1964, against Serial No. 60 relating to the post of Research Assistant in column 13, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"By promotion from amongst Assistant Transport Supervisors and Head Motor Mechanics in the News Services Division with three years' service in the respective grades."

[No. 12019/2/77-B(A)]
M. L. TANDON, Under Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 1977

सा० का० नि० 812.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा डाक-तार विभाग में चयन पदक्रम लिफ्टमैन के पद की भर्ती की विधि को नियमित करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते है, अर्थात् :—

1. लघु शीर्षक तथा प्रारम्भ :—(1) ये नियम डाक-तार (चयन पदक्रम लिफ्टमैन) भर्ती नियमावली, 1977 कहलायेंगे।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. वर्गीकरण तथा वेतनमान :—उक्त पद का वर्गीकरण तथा उस से सम्बन्धित वेतनमान संलग्न अनुसूची के कालम 3 और 4 में किये गए उल्लेखानुसार होंगे।

3. भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, तथा अन्य अर्हताएं आदि :—उक्त पदों पर भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं, तथा इन पदों से सम्बन्धित अन्य बातें उपर्युक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 कालमों में किये गये उल्लेखानुसार होगा।

4. अयोग्यताएं :—कोई भी सरकारी कर्मचारी—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह का करार किया है जिसकी पहले से ही पत्नी जीवित हो, या

(ख) जिसने अपनी पत्नी के जीवित रहते किसी अन्य व्यक्ति से विवाह या विवाह का करार किया हो, उपर्युक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

किन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात की तसल्ली करले कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत ऐसा विवाह स्वीकार्य और ऐसा करने के अन्य आधार है तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

5. छूट देने का अधिकार :—जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि छूट देना आवश्यक या समीचीन है तो वह सम्बद्ध कारणों को रिकार्ड करके आदेश द्वारा किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के सम्बन्ध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दे सकती है।

6. व्यावृत्ति :—इस सम्बन्ध में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, या अनुसूचित जनजातियों, और अन्य विशेष श्रेणियों वाले व्यक्तियों को दिये जाने वाले आरक्षणों और अन्य रियायतों का इन नियमों में से कोई भी नियम प्रभावित नहीं करेंगे।